

टू फगिर टेस्ट

प्रलमिस के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय, वशिव स्वास्थय संगठन

मेन्स के लयि:

बलात्कार पीडितों के लयि प्रतगामी कानून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कहा है कि कथित बलात्कार पीडितों का 'टू-फगिर टेस्ट' कराने वालों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा।

टू फगिर टेस्ट:

परचय:

- चकित्सक द्वारा कयि जाने वाले टू-फगिर टेस्ट में पीडिता के जननांगों की संसर्ग संबंधी अभ्यास की जाँच की जाती है।
 - यह अभ्यास अवैज्ञानिक है और कोई वशिष्ट जानकारी प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा ऐसी 'सूचना/जानकारी' का बलात्कार के आरोप से कोई लेना-देना नहीं है।
- महिला जसिका यौन उत्पीड़न हुआ है, उसके स्वास्थय और चकित्सीय ज़रूरतों का पता लगाने, साक्ष्य एकत्र करने आदिके लयि उसे चकित्सीय परीक्षण से गुज़रना पड़ता है।
- यौन उत्पीड़न पीडितों के मामलों से नपिटने के लयि [वशिव स्वास्थय संगठन \(WHO\)](#) द्वारा जारी एक पुस्तिका कहती है, "कौमार्य (या 'टू-फगिर') परीक्षण के लयि कोई जगह नहीं है, इसकी कोई वैज्ञानिक वैधता नहीं है।"

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन:

- वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय की एकल बेंच ने महिलाओं के एक्टवि और पैसवि इंटरकोर्स को आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) के तत्त्वों को लागू करने के आलोक में अप्रासंगिक माना।
- न्यायालय ने कहा कि जब कोई महिला बलात्कार का आरोप लगाती है तो उसे, उसके यौन रूप से सक्रिय होने के कारण बलात्कार न मानना पतिसत्तात्मक और भेदभावपूर्ण का प्रतीक है।
- मई 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि टू फगिर टेस्ट किसी महिला के नजिता के अधिकार का उल्लंघन करता है और सरकार से यौन शोषण की पुष्टि के लयि बेहतर चकित्सा प्रक्रिया प्रदान करने हेतु आग्रह कयि था।
- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1966 तथा अपराध के शकार एवं शक्तिके दुरुपयोग के पीडितों के लयि न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1985 का आह्वान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बलात्कार पीडिता कानूनी सहायता की हकदार हैं क्योंकि इससे उन्हें नुकसान पहुँचने के साथ इनकी शारीरिक या मानसिक अखंडता और गरमा पर आघात होता है।
- अप्रैल 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को टू-फगिर टेस्ट पर प्रतबिंध लगाने का नरिदेश दयि था।

सरकार के दशान-नरिदेश:

- त्वरति सुनवाई के लयि अपराधिक कानून में संशोधन और यौन उत्पीड़न के मामलों में बढी सज़ा पर वचार हेतु गठित जस्टिस वर्मा समिति, 2013 की रपिर्ट के बाद केंद्रीय स्वास्थय मंत्रालय ने वर्ष 2014 की शुरुआत में यौन उत्पीड़न के शकार लोगों की चकित्सा जाँच हेतु वसितृत दशान-नरिदेश जारी कयि।
- दशानरिदेशों के अनुसार, बलात्कार/यौन हसिा को स्थापति करने के लयि 'टू-फगिर टेस्ट' नहीं कयि जाना चाहयि।
- दशानरिदेशों में कहा गया है कि किसी भी मेडिकल जाँच के लयि बलात्कार पीडिता (या उसके अभभावक, यदविह नाबालगि/मानसकिक रूप से वकिलांग है) की सहमत आवश्यक है। सहमतनि देने पर भी पीडिता को आवश्यक इलाज की सुवधा मुहैया कराई जाती है।
- हालाँकयि दशानरिदेश मात्र हैं कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।

आगे की राह

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दशा-नरिदेशों को नज्दी एवं सरकारी अस्पतालों में परचालित किया जाना चाहिये।
- बलात्कार पीड़िताओं का परीक्षण किये जाने से रोकने हेतु स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिये कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिये।
- इस मुद्दे को डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों दोनों के व्यापक संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण द्वारा संबोधित किया जा सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: हमें देश में महिलाओं के परतयौन-उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के वरिद्ध वदियमान वधिकि उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से नपिटने के लिये कुछ नवाचारी सुझाव दीजिये। (2014)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/two-finger-test>

